



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 02 मई, 2023 ई0

बैशाख 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 173/XXXVI(3)/2023/11(1)/2023

देहरादून, 02 मई, 2023

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2023’ पर दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 14, वर्ष- 2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की
(संशोधन) अधिनियम, 2023**
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2023)

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की अधिनियम, 2020
में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

- | | |
|----------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| अधिनियम में संशोधन | 2. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की अधिनियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में "यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की" शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, "कोर यूनिवर्सिटी" शब्द रख दिये जायेंगे। |
| व्यावृत्ति | 3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी। |

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

उद्देश्य और कारण का कथन

विश्वविद्यालय की प्रायोजक न्यास सेठ रोशन लाल जैन ट्रस्ट के पास कोर नाम से शिक्षण संस्थान संचालित किये जाने का इतिहास व अधिकार होने एवं कोर नाम की विरासत को आगे बढ़ाये जाने के दृष्टिगत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(डा० धन सिंह रावत)

मंत्री